(20)

राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प उज्जैन संभाग

निगरानी 1011-II-15

प्रकरण क्रमांक /अपील/2014–15

1– सिराज खॉ पिता बक्सु खॉ, निवासी मक्सी तहसील व जिला शाजापुर..................... अपीलाटं

2– नर्गिस बी पत्नि बक्सु खॉ

3– फिरोज खॉ पिता बक्सु खॉ निवासी मक्सी

प्रार्थी अभिभाषक श्री फिरोज खॉ
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 7-4-15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्व

1– मूर्ति श्रीकृष्ण मंदिर देवस्थान व्यवस्थापक एवं पुजारी रामचन्द्र पिता रामलाल मेहता जाति ब्राम्हण, निवासी मक्सी मृत बजाय उत्ताराधिकारी उत्ताराधिकारी जितेन्द्र आत्मज रामचन्द्र निवासी मक्सी जिला–शाजापुर ।

2– माफी श्रीराम मंदिर स्थित ग्राम मक्सी व्यवस्थापक कलेक्टर जिला शाजापुर ।

तहसील व जिला शाजापुर ....रिस्पांडेन्ट

पुर्नरीक्षण आवेदन धारा 50 भू. राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 19.अ.2010–11 मै पारित आदेश दिनांक 02.07.13 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुर्नरीक्षण आवेदन जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1011/दो/2015 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—10—2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—7—13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 7—4—15 को लगभग 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण अपर आयुक्त द्वारा आदेश की जानकारी नहीं देना और दिनांक 3—3—15 को अभिभाषक से आदेश की जानकारी लेने पर जानकारी होना दर्शाया गया है जो कि समाधानकारक कारण नहीं है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	